

[श्री शिव चन्द्र झा]

अफिसर के पास रखे रहेंगे जब तक कि उस मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता है। मियाद को बढ़ाने के लिए विधेयक लाया गया है और अब इसका अमेंडमेंट लाया जा रहा है। चाहे कोई तिनका हो या कागज हो उसको रखने के लिए खर्चा करना पड़ता है। और इसमें वह खर्चा कंसालिडेटेड फंड से होगा। इसलिए 117 के मातहत इसमें राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए। चूंकि राष्ट्रपति की अनुमति नहीं है इसलिए यह विधेयक इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। यही मेरी आपत्ति है—संवैधानिक आपत्ति।

SHRI Y. B. CHAVAN: As far as the merits of the case are concerned, certainly the hon. Member has his reasons to differ from what we are doing and we can go into those points at the proper stage. At the moment I do not think there is any constitutional or legal difficulty, as he says. I cannot give him all the answers that he wants. The first paragraph of the statement of objects and reasons explains the circumstances in which the Ordinance was issued and it was only to over-come the difficulties mentioned in the statement of objects and reasons that this Ordinance was promulgated as Parliament was not in session.

श्री शिव चन्द्र झा : अध्यक्ष महोदय, सफाई नहीं हुई है। इसमें बढ़ा रहे हैं कि जब तक मुकदमा चलता है तो उसमें खर्चा होता है कंसालिडेटेड फंड से तो वह पैसा कहां से आता है? उसमें से आप पैसा खर्च करते हैं। जब आप लम्बे असे के लिए पैसा खर्च करेंगे तब आपको कंसालिडेटेड फंड से उसको लेना पड़ेगा। तभी वह आएगा। इसलिए आपको इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। चूंकि उनकी अनुमति नहीं है इसलिए आज यह विधेयक नहीं आ सकता। आप उनकी अनुमति आज ले सकते हैं। उसको लेकर कल यह विधेयक यहां इंट्रोड्यूस कर सकते हैं।

MR. SPEAKER: This was examined

and it was found that there was no expenditure involved. I think, your objection does not stand.

The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Foreign Exchange Regulation Act, 1947."

*The motion was adopted.*

SHRI Y. B. CHAVAN: I introduce the Bill.

14.01 hrs.

#### STATEMENT RE. FOREIGN EXCHANGE REGULATION (AMENDMENT) ORDINANCE

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI Y. B. CHAVAN): I beg to lay on the Table a copy of the explanatory statement (Hindi and English versions) giving reasons for immediate legislation by the Foreign Exchange Regulation (Amendment) Ordinance, 1970 as required under rule 71(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. [Placed in Library. See No. LT—4303/70].

MR. SPEAKER: Now, we adjourn for lunch to re-assemble at 15.00 hrs.

14.02 hrs.

*The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fifteen of the Clock.*

*The Lok Sabha re-assembled after Lunch at three minutes past Fifteen of the Clock.*

[SHRI K.N. TIWARY in the Chair]

MR. CHAIRMAN: Mr. Uikey.

SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamond Harbour): I want one minute to make a submission. Our great neighbour have lost three lakhs of people who were simply wiped away from the face of earth. They are suf-

fering from a severe epidemic of cholera and no food and no clothes. Our Government has announced a token grant of Rs. 5 lakhs. (Interruptions).

**सभापति महोदय :** आप इस तरह से उठकर बोलना शुरू न कर दिया करें ।

SHRI JYOTIRMOY BASU: You must have a little more sympathy to your neighbour. They are our own flesh and blood.

**सभापति महोदय :** यह ठीक नहीं है । आप बैठ जाइए ।

SHRI JYOTIRMOY BASU: It was the imperial power which separated us. But we cannot refrain from performing our duty. Government must take. . . \*\*

**सभापति महोदय :** जो आप कह रहे हैं यह रिकार्ड पर नहीं जाएगा ।

SHRI RANGA (Srikakulam): We support him. We have already communicated to the Government yesterday.

**श्री शिव चन्द्र झा :** (मधुबनी) : मेरा भी एक प्रिविलेज का सवाल था । ग्राल इंडिया रेडियो .

**सभापति महोदय :** आपने लिख करके दे दिया है । वह स्पीकर साहब के अंडर कंसिड्रेशन है । आपको इसके बारे में सुबह बता दिया गया था । Mr. Ukey.

SHRI JYOTIRMOY BASU: It will be only fitting if the Government said something. Sir, relief is coming from all over the world. . . (Interruptions)\*\*

MR. CHAIRMAN: He is speaking without my permission. I have said that it will not go on record.

**श्री शिव चन्द्र झा :** मुझे बताया गया है कि . . .

**सभापति महोदय :** आपने लिख कर

दे दिया है और स्पीकर साहब ने आज सुबह भी आपको कहा था यह उनके कंसिड्रेशन में है । जब वह इस पर विचार कर लेंगे तब वह आपको इजाजत दे देंगे ।

**श्री शिव चन्द्र झा :** मुझे बताया गया है कि ग्राल इंडिया रेडियो को भेज दिया गया है । डिस्टाटिड रूप में वह है । 225 के अन्तर्गत यह बात आती है । उसके बाद उसको यहां पर रखा जाता है । तब प्रिविलेज का मामला उठाया जाता है ।

**सभापति महोदय :** आपने आज सुबह भी उठाया था और आपको बताया गया था कि यह मामला स्पीकर के अंडर कंसिड्रेशन है । इसलिए इसको आप अब मत उठाइए । जो कुछ भी अब आप कहेंगे वह रिकार्ड पर नहीं जाएगा ।

**श्री शिव चन्द्र झा :**\*

**सभापति महोदय :** हाउस का समय इस तरह से क्यों लेते हैं । हम एलाउ नहीं कर रहे हैं । यह रिकार्ड पर नहीं जा रहा है । आपने कह दिया है उन्होंने सुन लिया है ।

**एक माननीय सदस्य :** आप उनको बोलें ।

**सभापति महोदय :** हम नहीं बोलने देंगे ।

**श्री शिव चन्द्र झा :**\*

**सभापति महोदय :** कुछ भी रिकार्ड पर नहीं जा रहा है । यह जीरो आवर नहीं है । तीन बजे तक दूसरी चीज में वक्त ले लिया गया है । अब इतना इम्पार्टेंट सबजेक्ट आ रहा है और आप लोग उसको आने नहीं दे रहे हैं । हमने जवाब दे दिया है कि वह स्पीकर के अंडर कंसिड्रेशन है । आप मेहरबानी करके बैठ जाएं । दूसरी कोई चीज रिकार्ड पर नहीं जाएगी ।

श्री शिव चन्द्र झा : \*

सभापति महोदय : क्यों वक्त लेते हैं ।  
रिकार्ड पर जाने से मैंने बन्द कर दिया है ।

15.08 hrs.

SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES ORDERS (AMENDMENT)  
BILL—Contd.

श्री मंगरू उइके (मंडला) : जो विधेयक प्रवर समिति के पास होकर आया था उसको उसी रूप में आपका समर्थन देने के लिए मैं खड़ा होना चाहता था और चाहता था कि मैं मंत्री महोदय को पार्लियामेंट में उसको लाने के लिए हृदय से धन्यवाद दूँ । लेकिन सरकार ने जो एमेंडमेंट्स मूव करनी चाही हैं उसको देखते हुए मैं सरकार को धन्यवाद नहीं दे सकता हूँ और धन्यवाद के बदले पता नहीं मैं किस शब्द को उपयोग में लाऊँ । मैं केवल इतना ही कह देना चाहता हूँ कि मेरे दिल को बड़ा दुख हो रहा है । आदिवासियों को 1950 में जब यह विधान में अमल में आया तब तो काफी सुविधायें मिलीं लेकिन जहाँ 1952 के चुनाव में मैं मेम्बर बन कर आया उस वक्त मैंने देखा कि मेरे सी० पी० और बरार में . . .

श्री शिव चन्द्र झा : (मधुबनी) : सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है । मैं आपको रूल 225 पढ़कर सुनाता हूँ । मुझे खबर दी गई है कि आपको नोटिस मिल गया है और आल इंडिया रेडियो को लिख कर दिया गया है । रूल में कहा गया है :

"The Speaker, if he gives consent under Rule 222. . . "

—That he has given by communicating to me through the watch and ward staff—

" . . . and holds that the matter proposed to be discussed is in order, shall, after the questions and before the list of business is entered upon, call the member

concerned, who shall rise in his place and, while asking for leave to raise the question of privilege, make a short statement relevant thereto."

सभापति महोदय : 225 आपने कोट किया है । आप 224 का नियम एक देखिए । उसमें कहा गया है :

Not more than one question shall be raised at the same sitting.

इस सदन में एक सवाल उठ चुका है, इसलिए आपका नहीं उठेगा । कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है ।

SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamond Harbour): So, I take it that everything goes on record?

MR. CHAIRMAN: No, no.

श्री शिव चन्द्र झा : \*

श्री जगेश्वर यादव (नांदा) : \*

सभापति महोदय : जो कुछ मेरी परमिशन के बिना कहा जाएगा, वह रिकार्ड पर नहीं जायेगा । जो सदस्य मेरी परमिशन के बिना बोलेंगे, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, उनकी बात रिकार्ड पर नहीं जायेगी ।

श्री शिव चन्द्र झा : \*

श्री जगेश्वर यादव : \*

सभापति महोदय : माननीय सदस्य यहाँ पर कांस्ट्रक्टिव काम करने के लिए आये हैं । वे कार्यवाही को चलने दें ।

श्री जगेश्वर यादव : \*

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके वह कार्यवाही को चलने दें या सदन से बाहर चले जायें । श्री उइके ।